कार्यालय उप वन संरक्षक, राजसमन्द

Sadhna Sikhar Road, Rajsamand   Phone & Fax No. 02952-220096   Email: dcf.rsmd.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः पत्रा ( ) सर्वे / एफ.सी.ए. / उवस / 2015–16 / 1986   दिनांकः 5/4/16

निमित्त :–

अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड जवाजा।

विषयः– Regarding Permission for laying of Water supply pipeline of dia 250 mm by PHED along NH-08 (sheroo ka bala to KarKara) from NH Chainge 88.260 to 92.140

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 2806–08 दिनांक 31.03.2016 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में वर्णितानुसार भारत सरकार के पत्र संख्या एफ / 11–9 / 98 / एफसी दिनांक 08.04.2009 एवं एफ / 11–9 / 98 / एफसी दिनांक 07.09.2015 के क्रम में तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या एफ (सर्कुलर) 97 / वसु / प्रमुवसं / 8810 दिनांक 11.12.2000 एवं संशोधित परिपत्र संख्या एफ (सर्कुलर) 97 / वसु / प्रमुवसं / 4333–4432 दिनांक 16.05.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिशाषी अभियंता , जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा को सड़क के किनारे–किनारे (right of way) जल वितरण हेतु पाईप लाईन डालने हेतु उपरोक्त आदेशों में वर्णित शर्तो के अध्याधीन स्वीकृति कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के संदर्भित पत्र की पालना में निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है।

1. पाईप लाईन डालने हेतु अधिकतम 1.50 मीटर गहरी एवं 0.60 मीटर चौड़ाई में ही खुदाई का कार्य किया जाना होगा।
2. पाईप लाईन डालने हेतु वन क्षेत्र (Road side Plantation Area) में भूमि खोदने के उपरान्त कार्य पूर्ण होने पर खोदी गई भूमि का भराव पूरा एवं सही प्रकार से करवाना तथा भूमि को पुनः उसके मूल स्वरूप में लाना होगा।
3. पाईप लाईन बिछाने हेतु मौके पर किसी प्रकार की वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचायेगें एवं न ही किसी वृक्ष का पातन किया जावेगा।
4. प्रस्ताव में दिये गये रूट चार्ट अनुसार ही कार्य करवाया जावे यदि प्रस्तावित क्षेत्र में रूट परिवर्तन करना हो तो उसकी पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. वनक्षेत्र में कोई श्रमिक केम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नहीं करवाया जावेगा।
7. समय–समय पर उच्च कार्यालय से प्राप्त आदेशा / निर्देशों की पालना की जावेगी।
8. कार्य प्रारम्भ करने से पहले आप क्षेत्रीय वन अधिकारी, भीम से सम्पर्क कर उनकी उपस्थिति में ही कार्य करवाना सूनिश्चित करेगें।

AEn1. Sent copy to Spm2 for onward action 2/4/16

भ व दी य

(कपिल चन्द्रवाल)
उप वन संरक्षक
राजसमन्द

Received on dt. 22/4/16 by email 22/4/16

क्रमांकः पत्रा ( ) सर्वे / एफ.सी.ए. / उवस / 2015–16 / 1987–90   दिनांक 5/4/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक , प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को आपके कार्यालय आदेश क्रमांक 2806–08 दिनांक 31.03.2016 के क्रम में।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, भीम को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

उप वन संरक्षक
राजसमन्द